File No.1-11099/34/2023- -11-

संख्या- 1302 /एक-10-2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदश लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2023

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानाध्यापकों को आपदा सम्मेलन में वितरित की जाने वाली हैण्डबुक के प्रकाशन हेतु एस 0 डी0 आर 0 एफ 0 मद से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4475/रा0 आ 0 का0/प्र 0 स 0 पत्रा0/2023-24, दिनांक 23 अगस्त, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानाध्यापकों को आपदा सम्बन्धी जागरूकता हेतु सम्मेलन आयोजित कराये जाने हेतु यूनीसेफ के सहयोग से विद्यायल सुरक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित 51 पेज की पुस्तिका तैयार की गयी है, जिसका वितरण सम्मेलन में प्रधानाध्यापकों को किया जाना है। प्रत्येक जनपद में 2000 पुस्तकों के अनुसार 75 जनपदों हेतु कुल 1,50,000 पुस्तकें प्रकाशित की जानी है। अत: प्रधानाध्यापकों के सम्मेलन में वितरित की जानी वाली 1,50,000 पुस्तकों के प्रकाशन पर होने वाले सम्भावित व्यय हेतु रू0 98,00,000/-(अट्ठानवे लाख मात्र) की स्वीकृति एस 0 डी0 आर 0 एफ 0 मद से कराये जाने का अनुरोध है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय अनुदान संख्या-51 के मानक मद-11 से प्रधानाध्यापकों के सम्मेलन में वितरित की जानी वाली 1,50,000 पुस्तकों के प्रकाशन पर होने वाले सम्भावित व्यय हेतु रू0 98,00,000/-(अट्ठानवे लाख मात्र) की धनराशि राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उ.प्र. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी जनपदों में जनपद स्तर पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा डिग्री कालेज के एक-एक शिक्षक / प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपदों के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देश दिनांक 24.08.2023 को निर्गत किये गये हैं। चूँकि राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रधानाध्यापकों के आपदा सम्मेलन तथा एस.डी.एम.ए. द्वारा प्रक्रियाधीन एक-एक शिक्षक / प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक जैसा है, अतः प्रस्तावित हैण्डबुक एस.डी.एम.ए. द्वारा प्रक्रियाधीन एक-एक शिक्षक / प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वितरित कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023, में निर्धारित मानक/दरों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा जोखा रखा जाये तथा माह के अन्त में

मदवारा मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013 'रा0-11 दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 98,00,000/- (रूपये अठ्ठानवे लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 के लेखा शीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल
Date: 20-09-2023 17:09:55
Reason: Approved
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 1302(1)/एक-10-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0 प्र0 प्रयागराज।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ।
3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0 प्र0।
6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-25/09/2023

प्रेषण संख्या:- 1302
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1302
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	9800000 136042680	9800000 136042680
	योग	वर्तमान प्रगामी	9800000 136042680	9800000 136042680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठानवे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ साठ लाख बयालीस हजार छ: सौ अस्सी

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन